

कार्यालय
पत्राक: न-20/असुव्य (198)/22-23

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

देहरादून।

दिनांक: मार्च 04, 2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
कॉन्वेंट ऑफ जीसस एण्ड मेरी वेवरली
(CONVENT OF JESUS & MARY WAVELLEY)
वेवरली चौक, मसूरी
जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:- अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 17542741 दिनांक 22.02.2022 के सम्बन्ध में।

आपके स्कूल का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी मसूरी द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 26-02-2022 में आपके स्कूल में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता-प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी मसूरी की निरीक्षण आख्या दिनांक 26-02-2022 के आधार पर आपके स्कूल हेतु उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 04-03-2022 से 03-03-2025 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

Shyama Y.
Principal
Convent of Jesus & Mary
Waverley, Mussoorie 11K

(आर० एस० खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।